



139822 - "रमज़ान में तीस दिनों के लिए तीस दुआयें" नामी पत्रक पर टिप्पणी

प्रश्न

कुछ वेबसाइट्स पर "रमज़ान में तीस दिनों के लिए तीस दुआयें" के शीर्षक से एक प्रसिद्ध पत्रक प्रकट हुआ है। जिस में पहले दिन की दुआ यह है :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ وَ قِيَامِي فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ ، وَ نِيَّهْنِي فِيهِ عَنِ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ ، وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا اِلَهَ الْعَالَمِينَ ، وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ

दूसरे दिन की दुआ यह है :

اَللّٰهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ اِلَى مَرْضَاتِكَ ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَ نِقْمَاتِكَ ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

तीसरे दिन की दुआ यह है :

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيْهَ ، وَ بَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيْهِ ، وَ اجْعَلْ لِي نَصِيْبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيهِ ، بِجُودِكَ يَا اَجْوَدَ الْاَجْوَدِيْنَ

तीसवें दिन की दुआ यह है :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَ يَرْضَاهُ الرَّسُوْلُ مُحْكَمَةً فُرُوْعُهُ بِالْاُصُوْلِ ، بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَ اِلَهِ الطَّاهِرِيْنَ ، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

तो इस पत्रक को वितरित और प्रकाशित करने के लिए इस पर भरोसा करने का क्या हुक्म है, और रमज़ान में इसके द्वारा दुआ करने का हुक्म क्या है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

"दुआ ही इबादत है।" जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है, इसे तिर्मिज़ी वगैरह ने सहीह इसनाद से रिवायत किया है, और इबादतों के अंदर बुनियादी सिद्धांत "तौकीफ" और निषेद्ध है (अर्थात जो शरीअत से प्रमाणित है उसी

की सीमा पर ठहर जाना, और किसी भी इबादत का करना निषेद्ध है यहाँ तक कि शरीअत से उसका प्रमाण आ जाए). अतः स्वयं कोई इबादत ईजाद कर लेना, या उसे किसी समय या अवसर के साथ जोड़ देना जायज़ नहीं है, सिवाय इसके कि शरीअत से उस पर कोई प्रमाण मौजूद हो।

अतः किसी भी व्यक्ति के लिए जायज़ नहीं है कि वह लोगों के लिए ऐसी दुआयें निर्धारित करे जिन्हें वे विशिष्ट अवसरों पर पढ़ें।

तथा - इस बारे में - प्रश्न संख्या : (21902) और (27237) के उत्तर देखें।

रमज़ान में दुआ करने की अभिरूचि दिलाई गई है, परंतु यह अभिरूचि किसी आदमी के लिए इस बात की अनुमति नहीं प्रदान करती है कि वह अपनी ओर से दुआयें अविष्कार करे, और उसे किसी निर्धारित समय के साथ विशिष्ट कर दे, मानो कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआयें हैं। बल्कि मुसलमान किसी भी समय में और जो भी शब्द उसके लिए आसान हों उनके द्वारा दुनिया व आखिरत की जिस भलाई के लिए भी चाहे दुआ करेगा।

तथा इसी के समान : वह भी है जिससे विद्वानों ने बचने की चेतावनी दी है, जो जनसाधारण के यहाँ प्रसिद्ध है कि वे हज़्ज और उम्मा में, तवाफ़ या सई के हर चक्कर के लिए निर्धारित दुआ विशिष्ट कर रखे हैं।

शैख़ इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

"इस तवाफ़ में, और न ही इसके अलावा अन्य तवाफ़ में, और न ही सई में : कोई विशिष्ट ज़िक्र, तथा कोई विशिष्ट दुआ अनिवार्य नहीं है। रही बात उस चीज़ की जिसे कुछ लोगों ने आविष्कार कर लिया है कि वे तवाफ़ या सई के हर चक्कर को कुछ विशिष्ट अज़कार या विशिष्ट दुआओं के साथ विशिष्ट कर लिया है : तो इसका कोई आधार नहीं है, बल्कि जो भी ज़िक्र व दुआ आसान हो काफी है।

"फतावा शैख़ इब्ने बाज़" (16/61,62)

हर चक्कर की कोई निर्धारित दुआ नहीं है, बल्कि हर चक्कर को किसी निर्धारित दुआ के साथ विशिष्ट करना : बिदअतों में से है ; क्योंकि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित नहीं है। बल्कि अधिक से अधिक जो वर्णित है वह हज़्ज-अस्वद को स्पर्श करते समय 'अल्लाहु अक्बर' कहना, तथा यमानी कोने और हज़्ज अस्वद के बीच :

[رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ] البقرة : 201

पढ़ना है। रही बात शेष चक्कर की : तो वह सामान्य ज़िक्र, कुरआन की तिलावत, और दुआ में बितायेगा, यह किसी चक्कर के साथ विशिष्ट नहीं है।



"मजमूओ फतावा शैख इब्ने उसैमीन" (22/336).

एक और बात :

यह है कि अंतिम दिन की दुआ में ऐसी चीज़ आई है जो बुरी (आपत्तिजनक) और शरीअत के विरुद्ध है, और वह यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हक़ (अधिकार), और आप के अह्ले बैत के अधिकार के द्वारा दुआ के अंदर वसीला पकड़ा गया है।

दुआ के अंदर इस प्रकार के वसीला पकड़ने के बिदअत होने और उसके बारे में विद्वानों के कथनों का वर्णन : प्रश्न संख्या : (125339) के उत्तर में हो चुका है, सो उसे देखना चाहिए।

अतः मुसलमान को चाहिए कि उस पत्र को प्रकाशित करने में भाग न ले, बल्कि उसे चाहिए कि वह अपनी शक्ति भर लोगों को उससे सावधान रहने की चेतावनी दे।

तथा मुसलमान को अचछी तरह जान लेना चाहिए कि बिदअत के अंदर कोई भलाई नहीं है कि मुसलमान उसके द्वारा अपने पालनहार की निकटता प्राप्त करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है : "हर बिदअत पथ-भ्रष्टता है।" इसे मुस्लिम (हदीस संख्या : 867) ने रिवायत किया है।

तथा धर्म के अंदर बिदअतें आविष्कार करने के निषेद्ध में प्रमाणित हदीसों और उससे सावधान करने के बारे में विद्वानों के कथनों को : प्रश्न संख्या : (118225) और (864) के उत्तरों में देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।